

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बरेली, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, श्रावस्ती एवं सुलतानपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11-10-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में चक्रवात आपदा से प्रभावित हुए कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में चक्रवात के प्रभाव से हुई भारी वर्षा/अतिवृष्टि से प्रभावित हुए कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 15,03,22,528/- (₹0 पन्द्रह करोड़ तीन लाख बाईस हजार पांच सौ अट्ठाईस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र० सं०	जनपद	आपदा का प्रकार/मद	स्वीकृत धनराशि (₹0 में)
1	2	3	4
1	अलीगढ़	चक्रवात मद-03	774958
2	अम्बेडकर नगर	चक्रवात मद-03	139380
3	औरैया	चक्रवात मद-03	9966066
4	बलिया	चक्रवात मद-03	2181344
5	बलरामपुर	चक्रवात मद-03	835776
6	बांदा	चक्रवात मद-03	7670748

7	बरेली	चक्रवात मद-03	16101867
8	बुलन्दशहर	चक्रवात मद-03	295479
9	एटा	चक्रवात मद-03	2081391
10	इटावा	चक्रवात मद-03	662121
11	फर्रुखाबाद	चक्रवात मद-03	2033083
12	फिरोजाबाद	चक्रवात मद-03	192650
13	गोण्डा	चक्रवात मद-03	21928560
14	गोरखपुर	चक्रवात मद-03	2755962
15	हमीरपुर	चक्रवात मद-03	9782483
16	कन्नौज	चक्रवात मद-03	11825048
17	कानपुर देहात	चक्रवात मद-03	1870246
18	ललितपुर	चक्रवात मद-03	7376075
19	लखनऊ	चक्रवात मद-03	2875453
20	मैनपुरी	चक्रवात मद-03	1693124
21	मऊ	चक्रवात मद-03	15249
22	मेरठ	चक्रवात मद-03	462773
23	मुरादाबाद	चक्रवात मद-03	18927642
24	रामपुर	चक्रवात मद-03	19667204
25	श्रावस्ती	चक्रवात मद-03	8201794
26	सुलतानपुर	चक्रवात मद-03	6052
योग			15,03,22,528/-
(रु० पन्द्रह करोड़ तीन लाख बाईस हजार पांच सौ अट्ठईस मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम

से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग /उपभोग/ समर्पण/ वितरण के समबन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया

जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(11) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक दशा में किसी अपात्र व्यक्ति/परिवार को कृषि निवेश अनुदान का लाभ न मिले तथा कृषि निवेश अनुदान के रूप में वितरित की जाने वाली उक्त धनराशि का प्रभावी अनुश्रवण राहत आयुक्त, 30प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसकी सूचना शासन को प्रेषित की जायेगी।

(12) फसल क्षति से प्रभावित क्षेत्रफल व कृषकों का शत-प्रतिशत डाटा फीडिंग राहत पोर्टल पर पूर्ण करा ली जाय।

(13) भारत सरकार के मानकों के अनुसार ही राहत राशि का वितरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसानों के खाते में कराया जाये।

(14) राहत राशि के भुगतान हेतु निर्गत भारत सरकार की गाईडलाइन एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(15) फसल क्षति के सापेक्ष देय राहत राशि का वितरण अतिशीघ्र करा लिया जाये।

(16) भारत सरकार की गाईडलाइन में देय न्यूनतम दर से कम की धनराशि किसी भी किसान के खाते में अंतरित न की जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 15,03,22,528/- (रू0 पन्द्रह करोड़ तीन लाख बाईस हजार पांच सौ अट्ठाईस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000603 चक्रवात से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 11-10-2026 16:22:51
(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या- 1210(1)/एक10-2026-, तदिदनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5 - विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव।_

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-11/10/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

9
001-1210
51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
03 - चक्रवात राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	462773 2962773	462773 2962773
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	295479 2795479	295479 2795479
3	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	774958 3274958	774958 3274958
4	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1693124 6693124	1693124 6693124
5	एटा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2081391 5081391	2081391 5081391
6	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16101867 18601867	16101867 18601867
7	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	18927642 21427642	18927642 21427642
8	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	19667204 24667204	19667204 24667204
9	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2033083 4533083	2033083 4533083
10	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	662121 3162121	662121 3162121
11	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9782483 14782483	9782483 14782483
12	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7670748 10170748	7670748 10170748

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
13	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2181344 4681344	2181344 4681344
14	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2755962 12755962	2755962 12755962
15	लखनऊ कलेक्ट्रेट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2875453 5375453	2875453 5375453
16	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	21928560 26928560	21928560 26928560
17	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6052 2506052	6052 2506052
18	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7376075 9876075	7376075 9876075
19	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1870246 6870246	1870246 6870246
20	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15249 2515249	15249 2515249
21	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	192650 2692650	192650 2692650
22	अम्बेडकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	139380 5139380	139380 5139380
23	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	835776 10835776	835776 10835776
24	औरैया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9966066 14966066	9966066 14966066
25	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	11825048 14325048	11825048 14325048
26	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8201794 13201794	8201794 13201794
	योग	वर्तमान प्रगामी	150322528 250822528	150322528 250822528

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया पन्द्रह करोड़ तीन लाख बाइस हजार पाँच सौ अठाईस
रूपया पच्चीस करोड़ आठ लाख बाइस हजार पाँच सौ अठाईस

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी



Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH
Reason: Allotment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date: 2026.10.11 04:50:24 +05:30